

03 ⁰⁵/₂₄

पत्रा. पेसा हुई वकील वादी उपस्थित। वादी के वकील द्वारा प्र. पत्र 212 को NBT प्रिण्टिंग किताब में ही तय्य ववा वादी भी NBT प्रिण्टिंग में खारिज किताब जाच्युका है अतः प्र. पत्र को खलाक जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है

अतः प्र. पत्र NBT प्रिण्टिंग में खारिज किताब जाता है पत्रा. केसल कुमार दोकर नंबर लेकन होने। बाद तकलील जाया वखिल कपतर हो।

नाब प्रक
दुखरी
उसिय

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (मराठपुर)